रांची में, शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 2024 को मध्याह्न 12:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। माननीय मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। माननीय मंत्री, उद्योग विभाग तथा श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग को छोड़कर, अन्य सभी मंत्रीगण उपस्थित थे।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

वित्त विभाग

01. 30 जून/31 दिसम्बर को सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के सेवानिवृति लाभों की गणना हेतु Notional (काल्पनिक) वेतनवृद्धि मान्य करने के संबंध में। — **01. स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

02. झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (द्वितीय संशोधन) नियमावली–2024 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। — **02. स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

03. सरायकेला–खरसावाँ के राजनगर अंचल अन्तर्गत मौजा–कुजू, थाना सं0–413 के खाता सं0–213, खेसरा सं0–740/अंश कुल रकबा–5.33 एकड़ किस्म–पुरानी परती औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स रूंगटा माईंस लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में। — **03. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

04. गोड्डा प्रमंडल अंतर्गत पोड़ैयाहाट प्रखण्ड के गोराडीह (देवबंधा) से बेहरजोर तक पथ निर्माण कार्य को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **04. स्वीकृत।**

योजना एवं विकास विभाग

05.	योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत जन निजी भागीदारी (Public Private Partnership) की परियोजनाओं के लिए कोषांग गठन के संबंध में।	**05. स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

06.	CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को 6 माह यथा– 01.04.2024 से 30.09.2024 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम–235 के प्रावधानों को नियम–245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	**06. स्वीकृत।**

मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग

07.	आम/उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्यों के संपादन में संलग्न पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यावधि से अधिक तक श्रमसाध्य कार्य करने के विरूद्ध देय पारिश्रमिक पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में।	**07. स्वीकृत।**

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

08.	सरायकेला–खरसावाँ के राजनगर अंचल के अन्तर्गत मौजा–आराहासा, थाना सं0–394 के खाता सं0–41 एवं 42 के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा–23.06 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की भूमि एवं अनाबाद सर्वसाधारण भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ मेसर्स रूंगटा माईन्स लिमिटेड, चाईबासा के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती के संबंध में।	**08. स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

09.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (सर्ड), रांची का नाम राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, रांची करने एवं स्वायत्तता प्रदान करने के संबंध में।	**09. स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

10.	राज्य योजनान्तर्गत महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत् महिलाओं को सैनिटरी पैड आपूर्त्ति योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।	**10. स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

11.	राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आँगनबाड़ी केन्द्रों में गर्म ताजा पोषाहार पकाकर लाभुकों को उपलब्ध कराने हेतु गैस सिलिण्डर रिफिलिंग की स्वीकृति।	**11. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

12.	मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना अन्तर्गत रोगी सुश्री अभिज्ञा गुप्ता, उम्र–02 वर्ष, पिता–श्री अमित कुमार गुप्ता, ग्राम–सरोजनगर, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार (झारखण्ड) को लीवर प्रत्यारोपण हेतु निर्धारित सीमा से अधिक राशि प्रदान करने के मामले में मंत्रिमण्डल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**12. स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

13. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर WPS No.3592/2021, कन्हैया सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक–24.03.2022 एवं उक्त वाद से उद्भूत अवमाननावाद संख्या–496, दिनांक 15.09.2023 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु संबंधित वादी श्री कन्हैया सिंह, लिपिक (सेवानिवृत) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने के संबंध में। **13. स्वीकृत।**

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2023–24 में "जल जीवन मिशन (JJM)" के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत पाँचा एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पुनरीक्षित राशि रू० 3194.93 लाख की राशि पर योजना एवं पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्द्धित राज्यांश मद से राशि रू० 597.43 लाख (पाँच करोड़ संतानवे लाख तैंतालीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **14. स्वीकृत।**

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजना के गैर जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शीर्ष के अधीन "निर्माण कार्य" मद से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, मेदिनीनगर अन्तर्गत पाँकी एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु राशि रू० 5352.51 लाख (तिरपन करोड़ बावन लाख इक्यावन हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **15. स्वीकृत।**

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

16. वित्तीय वर्ष 2023–24 में "जल जीवन मिशन (JJM)" अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, साहेबगंज मेगा ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु राशि रू० 20940.95100 लाख (दो अरब नौ करोड़ चालीस लाख पंचानवे हजार एक सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **16. स्वीकृत।**

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

17. वित्तीय वर्ष 2023–24 में "जल जीवन मिशन (JJM)" के अन्तर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, देवघर अन्तर्गत देवीपुर एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के पुनरीक्षित राशि रू० 18156.21900 लाख की राशि पर योजना एवं पुनरीक्षण के फलस्वरूप वर्द्धित राज्यांश मद से राशि रू० 3772.16900 लाख (सैंतीस करोड़ बहत्तर लाख सोलह हजार नौ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **17. स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

18. मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित One Stop Centre योजना कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति। — **18. स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

19. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत् राज्य अन्तर्गत Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 91 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति। — **19. स्वीकृत।**

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

20. "झारखण्ड बाड़ी" मासिक पत्रिका के प्रकाशन एवं इसके राज्य के आँगनबाड़ी केन्द्रों में वितरण की स्वीकृति।

20. स्वीकृत।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)

21. राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में कृषि क्षेत्र में मिलेट फसल के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु झारखण्ड राज्य मिलेट मिशन योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि रू० 5000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

21. इस शर्त्त के साथ स्वीकृत कि राज्य योजना प्राधिकृत समिति द्वारा अंकित शर्त्त का अनुपालन कर लिया जाय।

विधि विभाग

22. स्वर्गीय उत्तम आनन्द, तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश, धनबाद की आश्रित पत्नी श्रीमती कृति सिन्हा को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के स्थापना के लिए सहायक निबंधक (गैर न्यायिक) के 01 (एक) Supernumerary Nature का राजपत्रित पद के सृजन के संबंध में।

22. स्वीकृत।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

23. राज्य के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1 से 8 के बच्चों को निःशुल्क विद्यालय किट योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष स्कूल बैग उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

24. रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केन्द्र रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान, मोराबादी, राँची, झारखण्ड को पूर्व में स्वीकृति राशि रू० 294.00 लाख (दो करोड़ चौरानबे लाख) प्रतिवर्ष के अनुदान को बढ़ाकर अगले पाँच वर्षों के लिए राशि रू० 352.80 लाख (तीन करोड़ बावन लाख अस्सी हजार) मात्र प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में। **24. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

25. केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) अन्तर्गत रू० 12386.27 लाख की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त जामताड़ा शहरी जलापूर्त्ति परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **25. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

26. पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत "सेरलडीह (मुसाबनी–डुमरिया–आस्था–कोयमा, ODR पथ पर) से नरसिंहबहाल भाया मोरदा, उड़ीसा सीमा तक पथ (कुल लम्बाई–14.175 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण सहित एवं भू–अर्जन सहित)" हेतु रू० 67,97,14,500/–(सड़सठ करोड़ सन्तानवे लाख चौदह हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **26. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

27. दुमका जिलान्तर्गत "बुढ़ीकुरूवा (NH–114A)–दिग्घी मोड़ (भालूवा मोड़) (NH–133 पर)–भाया कमरडीहा डुमरिया–आमघटा–मटिहारी तथ (कुल लम्बाई–14.685 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन एवं युटिलिटी शिफटिंग सहित)" हेतु रू० 66,67,38,200/– (छियासठ करोड़ सड़सठ लाख अड़तीस हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **27. स्वीकृत।**

ग्रामीण कार्य विभाग

28. कार्य प्रमंडल, लातेहार अंतर्गत बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र के नक्सल मुक्त होने के फलस्वरूप पथों के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। **28. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

29. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मेसर्स नज्ज लाईफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीटयूट (NLF) द्वारा प्रस्तावित पांच वरिष्ठ कॉर्पोरेट अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक फेलोशिप (आईएएफ) के रूप में सेवाएँ प्रदान करने की स्वीकृति तथा मेसर्स नज्ज लाईफस्किल्स फाउंडेशन या द/नज्ज इंस्टीटयूट (NLF) को मनोनयन के आधार पर चयन के संबंध में। **29. स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

30. 220/33 के०वी० ग्रिड सब–स्टेशन, पकरी बरवाडीह (NTPC) के परिसर में 2x65 MVA, 220/33 के०वी० के अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाने के साथ–साथ 06 Nos. 33 KV Bays, Control Room etc. बनाने हेतु प्राक्कलित राशि रु0 33,30,10,566.00 की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।	**30. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

31. पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत ''टेबो (NH-75E पर)– कोटागड़ा– रायगड़ा– सिमड़ा– हलमद– डिन्डपाय– जन्ते (सोनुआ–पनसुआ–गुदड़ी पथ पर) पथ (कुल लंबाई–27.150 कि0मी0) का पुनर्निर्माण कार्य'' हेतु रू0 45,59,32,200/– (पैंतालीस करोड़ उनसठ लाख बत्तीस हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**31. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

32. झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से ''अनगड़ा–हाहे–राहे पथ (MDR-021) के 5वें कि0मी0 में गूंगा नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य (आर0ओ0बी0, भू–अर्जन एवं R&R सहित)'' हेतु रू0 112,11,93,000/– (एक सौ बारह करोड़ ग्यारह लाख तिरानबे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**32. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

33. पथ प्रमंडल, दुमका अंतर्गत "Construction of ADB road (Chigalpahadi) to Dumka-Rampur Highway (NH-114A) connect Govindpur-Sahebganj road via Dumka Airport पथ (कुल लंबाई–10.360 कि0मी0) का निर्माण कार्य (भू–अर्जन, Utility Shifting सहित)" हेतु रू0 3,01,98,64,000/– (तीन सौ एक करोड अंठानवे लाख चौंसठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **33. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

34. गोड्डा अन्तर्गत ''पथरा चौक–मखनी–नूनबट्टा–लाटीबाड़ी पथ (कुल लम्बाई–14.160 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग, R&R एवं वृक्षारोपण सहित)'' हेतु रू0 86,13,80,800/– (छियासी करोड़ तेरह लाख अस्सी हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **34. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

35. पथ प्रमण्डल, दुमका अन्तर्गत ''चन्द्रदीप से मोहनपुर पथ (कुल लंबाई–15.326 कि0मी0) के पुनर्निर्माण कार्य'' हेतु रू0 77,54,75,700/– (सतहत्तर करोड़ चौवन लाख पचहत्तर हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **35. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

36. देवघर जिलान्तर्गत ''नवाब मोड़ (मधुपुर–गिरिडीह पथ पर) (NH-114A पर) से बुढ़ई (MDR-235 पर) भाया बरमसिया पथ (कुल लंबाई–13.685 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित)'' हेतु रू0 35,95,26,600/– (पैंतीस करोड़ पंचानबे लाख छब्बीस हजार छः सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	36. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

37. धनबाद अन्तर्गत ''गोविन्दपुर–गिरिडीह मेन रोड (बराकर पुल) प्रतापपुर, ठेठाटाँड़ मोड़ से सर्रा पी0डब्लू0डी0 पथ भाया चरक, जाँताखुटी, बालिका विहार, भुसकी, नावाटाँड पथ भाया बालिका विहार से सर्रा पुल भाया फतेहपुर, ताकीपुर, बागजोबरा पथ (कुल लम्बाई– 10.688 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए दो लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुल कार्य, भू–अर्जन, वृक्षारोपण एवं Compensation for demolition of structure and Boundary wall सहित)'' हेतु रू0 52,50,88,700/– (बावन करोड़ पचास लाख अट्ठासी हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	37. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

38. बोकारो जिलान्तर्गत "पिछरी (जैना मोड़–फुसरो PWD पथ पर)– तेनुघाट (पेटरवार–गोमिया PWD पथ पर) पथ (Main portion) (लम्बाई–24.759 कि०मी०) एवं बाईपास portion (लम्बाई–1.564 कि०मी०) (समेकित कुल लम्बाई–26.324 कि०मी०) को जल संसाधन विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू–अर्जन सहित)" हेतु रू0 90,86,66,100/– (नब्बे करोड़ छियासी लाख छियासठ हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

38. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

39. पथ प्रमंडल, दुमका अन्तर्गत ''सितपहाड़ी से सिगरीहरको पथ (कुल लम्बाई–23.890 कि0मी0) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन, R&R, एवं युटिलिटी शिफ्टींग सहित)'' हेतु रू0 162,89,96,400/– (एक सौ बासठ करोड़ नवासी लाख छियानबे हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

39. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

40. रामगढ़ जिलान्तर्गत CIC section में भुरकुंडा–पतरातु के बीच कि0मी0 120/3–4 PTRU Stn. में L.C. Gate No. 39/Spl/T के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर0ओ0बी0) के निर्माण कार्य (भू–अर्जन सहित) हेतु रू0 108,53,54,600/– (एक सौ आठ करोड़ तिरपन लाख चौवन हजार छः सौ) मात्र की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रू0 65,55,78,357/– (पैंसठ करोड़ पचपन लाख अठहत्तर हजार तीन सौ संतावन) (भू–अर्जन सहित) के वहन की स्वीकृति एवं राज्यांश की राशि (भू–अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में।

40. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

41. गढ़वा अन्तर्गत "PWD पथ से बरवाडीह–सिंगसिंगाखुर्द –चफला– पेन्दली–पेशका –दुलदुलवा होते हुए सिंगसिंगाकला PWD पथ कार्य (कुल लम्बाई – 28.100 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण (भू–अर्जन एवं वनरोपन सहित) कार्य'' हेतु रू0 69,59,31,500/– (उनहत्तर करोड़ उनसठ लाख एकतीस हजार पांच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

41. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

42. झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से ''गोला–मूरी पथ (MDR-024) (कुल लम्बाई–25.163 कि0मी0) के 4 लेन में चौड़ीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू–अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं पुलों के निर्माण सहित)'' हेतु रू0 333,17,08,300/– (तीन सौ तैंतीस करोड़ सतरह लाख आठ हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 42. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

43. जमशेदपुर अन्तर्गत ''भुईयांडीह लिट्टी चौक से भिलाई पहाड़ी (NH-43 पर) पथ के 2रे कि0मी0 में स्वर्णरेखा नदी पर चार लेन पुल एवं पहुंच पथ निर्माण (कुल लम्बाई–3.681 कि0मी0) कार्य (भू–अर्जन, वृक्षारोपण एवं चारदीवारी का स्थानांतरण एवं अन्य विविध कार्य सहित)'' हेतु रू0 77,77,43,700/– (सतहत्तर करोड़ सतहत्तर लाख तैंतालीस हजार सात सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 43. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

44. लोहरदगा जिलान्तर्गत ''(A) लोहरदगा (नदिया मोड़)–इरगांव भाया अरकोसा रामपुर पथ (लं0–10.59 कि0मी0) एवं (B) इरगांव–भंडरा (MDR–001 पर) पथ (लं0–8.660 कि0मी0) (कुल लम्बाई–19.25 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू–अर्जन सहित)'' हेतु रू0 74,14,31,500/– (चौहत्तर करोड़ चौदह लाख एकतीस हजार पाँच सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 44. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

45. झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से ''NH–39 से शंखा से खजुरी पथ (कुल लंबाई–21.620 कि0मी0) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)'' हेत रू0 194,03,68,400/– (एक सौ चौरानबे करोड़ तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**45. स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

46. झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से ''बंता–राहे–बुण्डू पथ को दो लेन में Paved shoulder सहित (कुल लम्बाई–30.470 कि0मी0) चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण (भू–अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं पेड़ कटाई एवं एवेन्यू वृक्षारोपण सहित) कार्य" हेतु रू0 178,22,21,300/– (एक सौ अठहत्तर करोड़ बाईस लाख एक्कीस हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**46 स्वीकृत।**

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

47. भारत का संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम (1974 का 6वां) की धारा 64, उप धारा–2 क्लौज–"ई" में निहित प्रावधानों के तहत राज्य सरकार झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष की सेवा शर्त्तों संबंधी नियुक्ति नियमावली की अधिसूचना संख्या–3/पर्या० प्रदू० (विविध)–22/2007 (छाया संचिका–बी०)–2230, दिनांक 05.08.2021 की कंडिका–8 एवं 9(घ) एवं (च) को संशोधित करने की स्वीकृति के संबंध में।	**47. स्वीकृत।**

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

48. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अन्तर्गत 836 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय तथा 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों हेतु पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के संबंध में।	**48. स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

49. कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अन्तर्गत कोडरमा जिला में 5000MT क्षमता के निर्माणाधीन शीत गृह के द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि रु० 11,74,76,430.00 (ग्यारह करोड़ चौहत्तर लाख छिहत्तर हजार चार सौ तीस) मात्र के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं योजना अवधि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 तक विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में।	**49. स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

50. राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में FPO को मजबूती एवं प्रोत्साहन प्रदान करने, गुणवत्तायुक्त उत्पादक, बेहतर विपणन एवं प्रौद्योगिकी तक पहुँच बनाने हेतु FPOs को रु० 5000.00 लाख (पचास करोड़) मात्र की सहायता अनुदान प्रदान करने की योजना की स्वीकृति के संबंध में।	**50. स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

51. वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य योजनान्तर्गत नई योजना किसान समृद्धि योजना के क्रियान्वयन हेतु रु0 8000.00 लाख (अस्सी करोड़) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।	51. **स्वीकृत।**

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

52. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 से राज्य में संशोधन के साथ पुनः कार्यान्वित करने के संबंध में।	52. **स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

53. झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (संशोधन) 2024 को संशोधित करने के संबंध में।	53. **स्वीकृत।**